

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-8/2011/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - वित्त विभाग की नियम शाखाओं की समाप्ति ।



मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 720/94/सी/चार, दिनांक 28-11-94 (प्रति संलग्न) के द्वारा सर्वसंबंधितों को यह अवगत कराया जा चुका है कि वित्तीय नियमों/प्रावधानों के अनुसरण में विभाग स्वयं समुचित निर्णय ले । इन नियमों/प्रावधानों के मार्गदर्शन, निर्वचन, शिथिलता आदि के लिये वित्त विभाग को अनावश्यक प्रस्ताव न भेजे जाएं ।


2/ उपर्युक्त के उपरान्त भी वित्त विभाग में निरन्तर इन श्रेणीयों के प्रस्ताव विभागों से प्राप्त हो रहे हैं, जिससे अनावश्यक कार्यभार एवं पत्राचार वृद्धि होने से सार्थक कार्यों के लिए समय की उपलब्धता सीमित हो जाती है । अतः वित्त विभाग के उपर्युक्त परिपत्र में वर्णित निम्नांकित निर्देशों को पुनः आपके ध्यान में सभी स्तरों पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु लाया जाता है :-

1. मंत्रि-परिषद आदेश दिनांक 23 सितम्बर, 1994 के पालन में वित्त विभाग में उपलब्ध सभी नियम शाखाएं समाप्त कर दी गई हैं ।

2. वर्णित स्थिति में प्रशासकीय विभागों से निवेदन है कि विद्यमान नियमों/आदेशों के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर स्वयं निर्णय लें ।
3. जहाँ तक नियमों में शिथिलीकरण का सवाल है इस बारे में राज्य शासन का निर्णय निम्नानुसार है :-

"Frivolous references to State Government for relaxation/exemption from general rules and procedures should be discouraged . The Government as a matter of policy should refuse to deal with such cases ."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(एस.एन. मिश्रा)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

o/c (डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
:: मंत्रालय ::
=====

क्रमांक 720 / 94/सी/चार

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर, 1994

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्य प्रदेश ।


विषय:- वित्त विभाग की नियम शाखाओं की समाप्ति ।
==

मंत्रि-परिषद् आदेश दिनांक 23 सितम्बर, 1994 के पालन में वित्त विभाग में उपलब्ध सभी नियमशाखाएं समाप्त कर दी गयी हैं।

2. वर्णित स्थिति में शासकीय विभागों से निवेदन किया जाता है कि वे वित्त विभाग की नियम शाखाओं की ओर, जो प्रकरण अभी तक भेजा करते थे उनका विद्यमान नियमों/आदेशों के परिपेक्ष्य में परीक्षण कर स्वयं निर्णय लें।

3. जहाँ तक नियमों में शिथिलीकरण का सवाल है इस बारे में राज्य शासन का निर्णय निम्नानुसार है:-

"Frivolous references to State Government for relaxation/exemption from general rules and procedures should be discouraged. The Government as a matter of policy should refuse to deal with such cases."



१ र. एन. अस्थाना १

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग